रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224776
CG-DL-E-29012021-224776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

India Code

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

का.आ. 412(अ).— भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का 57) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 415 (अ) के द्वारा एक समीक्षा समिति का गठन किया था । उक्त अधिसूचना में दिनांक 20 फ़रवरी,2020 के का.आ. 771(अ) द्वारा अनुवर्ती संशोधन किया गया जो दिनांक 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 415(अ) के पैरा 1 के क्रम स. 12 पर श्री आर.सी.अग्रवाल के स्थान पर श्री कृष्ण चंदर, उप महानिदेशक (सेवानिवृत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नाम शामिल करने के लिए था । इसके अतिरिक्त, मूल अधिसूचना में दिनांक 27.07.2020 से परे छह महीने के लिए समीक्षा समिति के कार्यकाल का विस्तार करने के लिए संशोधन दिनांक 5 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2622(अ) द्वारा किया गया जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था । इसके अलावा, दिनांक 12 अकटूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3567 (अ) के द्वारा नया संशोधन किया गया जो दिनांक 20 फरवरी, 2020 की संशोधित अधिसूचना सं का.आ. 771 (अ) के पैरा 1 की क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित श्री कृष्ण चंदर के स्थान

पर श्री अतनु कुमार चौधरी, उप महानिदेशक,वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कोलकाता का नाम शामिल करने के लिए था ।

2. दिनांक 05.08.2020 की संशोधित अधिसूचना के पैरा 5 के अनुसार, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि उन्हीं निबंधन और शर्तों पर दिनांक 27.07.2020 से परे छह महीने के लिए बढ़ा दी गई थीं । अतः, उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि उन्हीं निबंधन और शर्तों पर एतद्वारा दिनांक 27.01.2021 से परे और छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है ।

[फ़ा.सं. I-12011/16/2014-आइएसआइ]

चन्द्रदीप कुमार झा, उप महानिदेशक

नोट: प्रमुख अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 415 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, प्रमुख अधिसूचना में पहला संशोधन दिनांक 20 फरवरी, 2020, की अधिसूचना संख्या का.आ. 771 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था, प्रमुख अधिसूचना में दूसरा संशोधन दिनांक 5 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2622 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और पहली संशोधित अधिसूचना में तीसरा संशोधन दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3567 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2021

S.O. 412 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (57 of 1959), the Central Government had constituted a Review Committee vide Notification No. S.O. 415(E) dated 28th January, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii). Subsequent amendment to the said Notification was made vide Notification number S.O. 771(E) dated 20th February, 2020 for inclusion of name of Shri Krishan Chander, Deputy Director General (Retired), Ministry of Statistics & Programme Implementation in place of Shri R. C. Aggarwal at Sl. No. 12 of paragraph 1 of the Notification No. S.O. 415(E) dated 28th January, 2020. Further amendment to the original Notification for extending the tenure of Review Committee for six months beyond 27.07.2020 was made vide Notification No. S.O. 2622(E) dated 5th August, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii). Furthermore, a new amendment was made vide Notification No. S.O. 3567(E) dated 12th October, 2020 for inclusion of name of Shri Atanu Kumar Chowdhury, Deputy Director General, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Ministry of Commerce and Industry, Kolkata in place of Shri Shri Krishan Chander at Sl. No. 12 of paragraph 1 of the revised Notification No. S.O. 771(E) dated 20th February, 2020.

2. As per para 5 of the revised notification dated 05.08.2020, the date of submission of report by the Committee was extended for six months beyond 27.07.2020 on the same terms and conditions. Now, the date of submission of report by the said committee is hereby extended for another six months beyond 27.01.2021 on the same terms and conditions.

[F. No.I-12011/16/2014-ISI]

CHANDRADEEP KUMAR JHA, Dy. Director General

Note: The principal notification was published vide Notification number S.O. 415(E) dated 28th January, 2020, first amendment to the principal notification was published vide Notification number S.O. 771(E) dated 20th February, 2020 , second amendment to the principal notification was published vide Notification number S.O. 2622(E) dated 5th August, 2020 and third amendment to the first amended notification was published vide notification no. S.O. 3567(E) dated 12th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.01.29 22:31:55 +05'30'